अनुदान संख्या 68 – महासागर विकास विभाग
GRANT No. 68–DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	229,08,00		266,08,00	227,62,20	–38,45,80
पूरक	Supplementary	37,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					36,90,33
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted			1,00,00	. .	–1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3845.80 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 3700.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs. 3845.80 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.3700.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	545.00	447.26	403.68	–43.58
पु.	R.	–97.74			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष		Head				
मुख्य शीर्ष "3403" समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान		Major Head "3403" Oceanographic Research				
मू.	O.		22363.00			
पू.	S.		3700.00	22470.41	22358.52	–111.89
पु.	R.		–3592.59			

(I) 368.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3403" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में मौसम की कठिन स्थितियों की वजह से अरब सागर में सर्वेक्षण कार्य और एकत्र किए गए आंकड़ों के संसाधन और व्याख्या में विलंब होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.368.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "3403" - due to delay in survey work in Arabian sea owing to difficult weather conditions and processing and interpretaion of data collected – under the following heads:-

(का) "समुद्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण - महाद्वीपीय कगार" - 243.00 लाख रु.; और

(A) "Oceanographic Survey – Continental Shelf" - Rs.243.00 lakhs; and

(खा) "अन्य अनुसंधान स्कीमें - लक्ष्मी बेसिन का भौगोलिक अध्ययन" - 125.00 लाख रु.।

(B) "Other Research Schemes - Geophysical Study of Laxmi Basin"- Rs.125.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "3403" - "समुद्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण - समुद्री जीव संसाधन तथा मछलीपालन और महासागर अनुसंधान पोत" के अंतर्गत 1249.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1549.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 377.45 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3403"- "Oceanographic Survey – Marine Living Resources (MLR) and Fishery and Oceanographic Research Vessel (FORV)"- the original provision of Rs.1249.00 lakhs was augmented to Rs.1549.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.377.45 lakhs (including supplementary grant) due to non-receipt of proposal from Fishery Survey of India.

(III) मुख्य शीर्ष "3403" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "3403" also remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "ध्रुवीय/अंटार्कटिक अनुसंधान - राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र" - 2300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 900.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3200.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो दिसम्बर,

(A) "Polar /Antarctic Research- National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR)"- the original provision of Rs.2300.00 lakhs was augmented to Rs.3200.00 lakhs by

2004 में शुरू किए गए अंटार्कटिक अभियान के लिए पोतों और हेलिकाप्टरों के उपयोग से संबंधित बिलों की प्राप्ति में विलंब होने के कारण 525.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''महासागर अनुसंधान के लिए सहायता - समुद्र अनुसंधान और विकास'' - 2850.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3850.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वित्त मंत्रालय द्वारा महासागर तापीय ऊर्जा संरक्षण परियोजना को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण 968.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''अन्य अनुसंधान स्कीमें'' -

(क) ''महासागर प्रेक्षण एवं सूचना सेवाएं'' - 2600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो व्यस्त नेटवर्क के लिए उपस्कर की आपूर्ति संबंधी क्रयादेशों/संविदा के मूर्तरूप न ले पाने के कारण 731.74 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''एकीकृत तटीय और समुद्र क्षेत्र प्रबंधन'' - 400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 500.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो परियोजना का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को अंतरण स्थगित किए जाने और शोरलाइन मैनेजमेंट इको सिस्टम मोडलिंग और प्रयोगशाला के संशोधन के लिए उपस्कर की खरीद में विलंब होने के कारण 46.56 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''महासागर विकास सचिवालय विभाग'' के अंतर्गत 141.32 लाख रु. की बचत (545.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा उपचार के कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

obtaining supplementary grant of Rs. 900.00 lakhs which, however, remained unutilsed to the extent of Rs.525.00 lakhs – due to delayed receipt of bills relating to use of vessels and helicopters for Antarctic Expedition launched in December, 2004.

(B) “Assistance for Oceanographic Research–Marine Research and Development”-the original provision of Rs.2850.00 lakhs was augmented to Rs.3850.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.968.42 lakhs - due to non-clearance of Ocean Thermal Energy Conservation Project by the Ministry of Finance.

(C) “Other Research Schemes” -

(a) Ocean Observation and Information Services(OOIS) - the original provision of Rs.2600.00 lakhs was augmented to Rs.4000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.731.74 lakhs – due to non-materialisation of purchase orders / contract for supply of equipment for busy network.

(b) “Integrated Coastal and Marine Area management (ICMAM)”- the original provision of Rs.400.00 lakhs was augmented to Rs.500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.46.56 lakhs – due to postponement of transfer of project to National Institute of Ocean Technology and delay in purchase of equipment for shoreline Management Eco system Modeling and Modification of Laboratory.

(IV) Under Major Head “3451”-“Secretariats Department of Ocean Development” - saving of Rs.141.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.545.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards leave travel concessions and medical treatment and economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष ''3403'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत और अधिक बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रदर्शनी और मेले'' - 109.95 लाख रु. की बचत (155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ''विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ऊर्जा हाल'' परियोजना के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(खा) ''सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर'' - 410.06 लाख रु. की बचत (427.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम्प्यूटरों के हार्डवेयर और साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.78 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 100.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''5403'' - ''महासागर अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया ।

(V) Under Major Head “3403”- “Other Expenditure”- further savings occurred under the following heads:-

(A) “Exhibition and Fairs”- saving of Rs.109.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155.00 lakhs) was due to non-receipt of proposal for the project “Hall of Science and Technology and Energy” from Allahabad University.

(B) “Information Technology and Computers”- saving of Rs.410.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.427.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders to procure hardware and software of computers.

(VI) Under one head saving of Rs.51.78 lakhs occurred constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, provision of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “5403” – “Capital Outlay on Oceanographic Research and was eventually surrendered.